राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (बी–400) अलेसे– I/ 1090 दिनांकः– 09/01/2018

कार्यालय आदेश

कोषाधिकारी (शहर), जोधपुर के पत्रांक 1766 दिनांक 20.12.2017 के द्वारा विभाग को सूचित किया गया है कि कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण में दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 122/17 दिनांक 22.05.2017 दर्ज होने के परिणामस्वरूप उक्त अभियोग के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर, कैम्प–जोधपुर के द्वारा श्री बजरंग बली बनबेरू (लिंक नं0 3692), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, कार्यालय कोषाधिकारी (शहर), जोधपुर को दिनांक 01.12.2017 को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2017 की अनुपालना में दिनांक 19.12.2017 को जमानत पर रिहा किया गया था।

अतः न्यायिक अभिरक्षा में 48 घण्टे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में रखे जाने के कारण श्री बनबेरू को राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियम 1958 के नियम 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 01.12.2017 से निलम्बित किया हुआ माना जाकर इनका मुख्यालय कोषाधिकारी, पाली किया जाता है। श्री बनबेरू को निलम्बन काल में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

(परमेश्वरी चौधरी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2 (क) (बी–400) अलेसे– I/ 1090 दिनांकः– 09/01/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण।
2 उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर, कैम्प–जोधपुर।
3 कोषाधिकारी (शहर), जोधपुर।
4 कोषाधिकारी, पाली।
5 श्री बजरंग बली बनबेरू, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I को पालनार्थ।
6 अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
7 उपनिदेशक(एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8 पदस्थापन सीट/गार्ड फाइल।

9.1.18

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)